

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/6476/2002/नागौर सुखदेव बनाम सरकार	नम्बर व तारीख
	<p style="text-align: center;">न्यायालय - राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</p> <p style="text-align: center;">एकलपीठ</p> <p style="text-align: center;">श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य</p> <p>उपस्थित-</p> <p>श्री राजेश गौतम, अभिभाषक अपीलार्थी श्री इंगरसिंह, अभिभाषक प्रत्यर्थी श्री शिवप्रकाश चौधरी, उपराजकीय अभिभाषक</p> <p style="text-align: center;">-आदेश-</p> <p style="text-align: right;">दिनांक:- 04-03-2025</p> <p>यह अपील अंतर्गत धारा 23 (2-ए) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के तहत न्यायालय अपर जिला कलेक्टर, नागौर द्वारा दिनांक 08-10-2002 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है</p> <p>2- अपील ज्ञापन के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आराजी जैर के रिकार्डेड खातेदार अखेसिंह के विरुद्ध सिलिंग अधिनियम के तहत कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी, परबतसर द्वारा दिनांक 30-06-1971 को समाप्त कर दी गई थी। तत्पश्चात् राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत धारा 15 (2) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के तहत सीलिंग कार्यवाही की गई तथा तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच उपरान्त भूमिधारी के खाते में सिलिंग सीमा से अधिक भूमि होना मानते हुए भूमि को अधिग्रहण करने के आदेश प्रदान किये गये। जिसके विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष अपील पेश किये जाने पर दिनांक 22-06-1998 को अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः रिमाण्ड किया गया। राज्य सरकार के आदेश द्वारा राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 की धारा 15 (2) के तहत शक्तियों को प्रयोग करते हुये प्रकरण पुनः खोला जाकर नये सिरे से जांच कर निर्णय पारित करने हेतु अपर जिला कलेक्टर, नागौर को प्रेषित किया गया। नये सीलिंग कानून के तहत प्रकरण पुनः खोले जाने के पश्चात अपर जिला कलेक्टर ने दिनांक 08-10-2002 द्वारा भूमिधारी निर्धारती के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि होना मानते हुये 28.65 स्टेण्डर्ड एकड भूमि राज्यहित में अधिग्रहण करने के आदेश पारित कर दिये। अपर जिला कलेक्टर, नागौर के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मंडल में पेश की गई है</p> <p>3- उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई।</p> <p>4- विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में उद्धरित तथ्यों को दोहरते हुये अभिकथन किया कि अपीलार्थी के विरुद्ध पहले सीलिंग प्रकरण के तहत कार्यवाही की जाकर प्रकरण बंद किया जा चुका है तत्पश्चात उसके खिलाफ सिलिंग की कार्यवाही गलत रूप से की गई है। विवादित भूमि अपीलार्थी की रिकार्डेड खातेदार से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कय की गई भूमि रही है तथा आराजी जैर अखेसिंह की पैतृक है जो पूर्वजों के समय से उनके खाते में चली आ रही है।</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/6476/2002/नागौर सुखदेव बनाम सरकार	नम्बर व तारीख
	<p>वादग्रस्त भूमि के खातेदार अखेसिंह की पत्नी गंगकंवर द्वारा खसरा नम्बर 83/1 रकबा 2.05 हैक्टर भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र से कय किये जाने के उपरान्त मण्डल तक चली कार्यवाही में उक्त भूमि को सिलिंग सीमा से मुक्त रखा गया था। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की खातेदारी भूमि को सिलिंग सीमा में मानते हुए अधिग्रहण के आदेश विधि विरुद्ध तरीके से प्रदान किये गये हैं। अपीलार्थी सीलिंग कानून के प्रारम्भ से ही अलग अलग खातेदार हैं। उक्त बेचान धारा 30 डी एवं 30 डीडी के तहत मान्य है। किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बेचान को नहीं माना। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीलिंग प्रकरण को पूर्ण समझे बिना एवं नियमों के प्रावधानों के विपरीत अपीलार्थीगण के विरुद्ध निर्णीत किया गया है, जिसे खारिज किया जाकर अपील स्वीकार की जावे ।</p> <p>5- उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का तर्क है कि भूमिधारी 2 सदस्यों के परिवार के आधार पर 30 स्टेण्डर्ड एकड रकबा धारण कर सकता था। उपरोक्त सीमा से अतिरिक्त भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होने की स्थिति में अधिग्रहण की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण करने के पश्चात प्रकरण का निस्तारण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में प्रथम दृष्ट्या दिखाई देने वाली ऐसी कोई त्रुटि एवं किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है, जिसे अपील के माध्यम से निरस्त करवाया जाकर आलोच्य निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपील खारिज की जावे।</p> <p>6- उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय, अपील ज्ञापन के तथ्यों व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का गहनता से आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया।</p> <p>7- हस्तगत प्रकरण में धारा 15(2) के अन्तर्गत प्रकरण को रिओपन किये जाने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने सीलिंग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भूमि अधिग्रहित करने के आदेश दिये हैं। अपीलार्थीगण के परिवार में दो युनिट सदस्य होने के कारण 30 स्टेण्डर्ड एकड भूमि रखने के अधिकारी थे तथा उनके पास सीलिंग कार्यवाही प्रारम्भ करते समय 72.93 स्टेण्डर्ड एकड भूमि थी तथा उक्त भूमि में से मान्य हस्तान्तरणों की भूमि 30 बीघा चाही यानि 5.81 स्टेण्डर्ड एकड तथा बारानी दोयम भूमि 74.17 बीघा यानि 8.47 स्टेण्डर्ड एकड कुल 14.28 स्टेण्डर्ड एकड भूमि घटाने पर शेष 58.65 स्टेण्डर्ड एकड भूमि में से पाँच सदस्यों तक के एक परिवार के द्वारा 30 स्टेण्डर्ड एकड भूमि धारित किये जाने व शेष 28.65 स्टेण्डर्ड एकड भूमि को अपर जिला कलेक्टर, नागौर द्वारा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होना मानते हुये अधिग्रहित करने के आदेश दिये हैं।</p> <p>8- विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय ने बेचान को मान्यता नहीं दी तथा बेचान की गई भूमि को भी सीलिंग सीमा के तहत गणना करते समय निर्धारिती की ही मानी। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते हुए एसेसी द्वारा दिनांक 25-02-1958 व दिनांक 01-04-1966 को कुल धारित भूमि 72.93 स्टेण्डर्ड एकड भूमि में से मान्य हस्तान्तरणों की भूमि 30 बीघा चाही यानि 5.81 स्टेण्डर्ड एकड तथा बारानी दोयम भूमि 74.17 बीघा यानि 8.47 स्टेण्डर्ड एकड कुल 14.28 स्टेण्डर्ड एकड भूमि घटाने पर शेष 58.65 स्टेण्डर्ड एकड भूमि को शेष मानते हुए सीलिंग की कार्यवाही की गई है। नवीन सीलिंग विधि अर्थात् राजस्थान कृषि जोतों</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/6476/2002/नागौर सुखदेव बनाम सरकार	नम्बर व तारीख
	<p>पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के तहत बेचान को मान्यता इसलिये नहीं दी जा सकती क्योंकि प्रकरण पुनः खुलने के बाद अपीलार्थी द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेजात् एवं सदभावी हस्तान्तरण होने को कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। हमारे समक्ष भी विद्वान अभिभाषक उक्त बेचानों को सदभावी होना सिद्ध नहीं कर पाये तथा न ही बेचान किये जाने के पुख्ता सबूत/साक्ष्य प्रस्तुत कर पायें। ऐसे हस्तान्तरणों के संबंध में राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 अधिकतम सीमा-क्षेत्र से अधिक भूमि धारण करने पर निर्बन्धन धारा 30 - घ के तहत किसी व्यक्ति के संबंध में धारा 30-ग के अधीन अधिकतम सीमा-क्षेत्र अवधारित करने के प्रयोजनार्थ उसके द्वारा 25 फरवरी, 1950 या उसके पश्चात् अपनी सम्पूर्ण जोत का या उसके किसी भाग का किया प्रत्येक स्वैच्छिक अन्तरण जोकि बंटवारों के रूप में या ऐसे व्यक्ति, जो उक्त तारीख को भूमिहीन व्यक्ति था और अन्तरण की तारीख तक उसी रूप में रहा हो, के पक्ष में न हो, इस अध्याय के उपबंधों को विफल करने वाला अन्तरण समझा जायेगा और उसको न तो मान्यता दी जायेगी और न उस पर विचार किया जायेगा, ऐसी स्थिति में उक्त बेचानों को 30 डी एवं 30 डीडी के तहत मान्यता नहीं देने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है। भूमिधारी अख्रेसिंह निर्धारित के परिवार में दो युनिट सदस्य होने के कारण 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि रखने के अधिकारी थे तथा उनके पास सीलिंग कार्यवाही प्रारम्भ करते समय 72.93 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त भूमि में से वैद्य हस्तान्तरण 14.28 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि को छोड़ते हुए भूमि निर्धारित के पास 58.65 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि निहित होने एवं एसेसी के परिवार में दो सदस्य ही होना प्रमाणित होना मानते हुए पाँच सदस्यों के परिवार तक 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि धारित किये जाने के उपरान्त शेष 28.65 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होना मानते हुये अधिग्रहित करने के आदेश दिये हैं, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से आक्षेपित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार कर खारिज योग्य पाई जाती है।</p> <p>9- परिणामतः हस्तगत अपील अस्वीकार कर खारिज पाई जाती है तथा अपर जिला कलेक्टर, नागौर का आक्षेपित आदेश दिनांक 08-10-2002 यथावत बहाल रखा जाता है। आदेश की सूचना जरिये कम्प्यूटर उभय पक्षों को दी जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड लौटाया जाकर पत्रावली बाद तामील व तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(राजेश कुमार दड़िया) सदस्य</p>	